फाइल सं. 1(3)/पीएफ.II/2001

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

(योजना वित्त-II मंडल)

***

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2002

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- सार्वजनिक निवेश/व्यय – समीक्षा और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश

परियोजनाओं/स्कीमों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है और केवल उन परियोजनाओं/स्कीमों पर कार्य शुरु किया गया, जो वित्तीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों और उनसे अधिक लाभ प्राप्त होते हों। संसाधनों के प्रसार और समान उद्देश्यों वाली स्कीमों की विविधता को भी टाले जाने की आवश्यकता है। अतः, निवेश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ, यह प्रक्रिया सरल और त्वरित होना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी आर्थिक माहौल में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। इन विचारों के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए कार्यप्रणाली में इष्टतम स्तर के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होगी। तदनुसार, सार्वजनिक निवेश/व्यय के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश/वित्तीय सीमाएं उल्लिखित हैं:

2. नियोजित स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन :-

	नियोजित स्कीम/ परियोजना की वित्तीय सीमाएं	**मूल्यांकन फोरम**
(क)	5.00 करोड़ रुपए तक	सामान्य कार्यों के लिए, संबंधित मंत्रालय/विभाग.
(ख)	5.00 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 25 करोड़ रुपए से कम	संबंधित विभाग की स्थायी वित्त समिति, जिसकी अध्यक्षता सचिव करेंगे, उनके साथ सदस्य के रूप में संबंधित मंडल के वित्त सलाहकार और संयुक्त सचिव/निदेशक होंगे, जो योजना आयोग के प्रतिनिधियों, निदेशक व्यय तथा किसी अन्य विभाग, जैसा सचिव अथवा वित्त सलाहकार सुझाव दें, को आमंत्रित करेंगे।
(ग)	25 करोड़ रुपए और अधिक परंतु 100	विभागीय व्यय वित्त समिति (ईएफसी)। विभागीय

	करोड़ रुपए से कम	व्यय वित्त समिति की अध्यक्षता प्रशासनिक विभाग के सचिव होंगे। इसमें वित्त सलाहकार, सदस्य सचिव होंगे, और योजना आयोग तथा व्यय विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
(घ)	100 करोड़ रुपए और अधिक परंतु 200 करोड़ रुपए से कम	मुख्य व्यय वित्त समिति (ईएफसी)। मुख्य व्यय वित्त समिति में सचिव (व्यय) शामिल होंगे जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे, सचिव (योजना आयोग) और सचिव, स्थापना विभाग, वित्त सलाहकार इस इस व्यय वित्त समिति के सचिव होंगे।
(ण)	200 करोड़ रुपए और अधिक	सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी)/मुख्य व्यय वित्त समिति की अध्यक्षता सचिव (व्यय) करेंगे। जिन परियोजनाओं/ स्कीमों में वित्तीय रिटर्न बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, उन पर पीआईबी द्वारा और अन्य पर व्यय वित्त समिति विचार करेगी।

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्कीम/परियोजना के लिए एसएफसी/ईएफसी /पीआईबी मूल्यांकन फोरम के रूप में कार्य करेगी। उनकी सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जैसा नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है।

(ii) वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, व्यय (आउटले) के बावजूद मूल्यांकन फोरम (व्यय वित्त समिति) की अध्यक्षता संबंधित प्रशासनिक सचिव द्वारा की जाएगी।

(iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नवरत्न और मिनीरत्न ने निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए अपनी शक्तियों में वृद्धि की है। यह प्रतिनिधित्व जारी रहेगा।

(iv) नए स्वायत्त संगठनों की स्थापना हेतु स्कीमों/परियोजनाओं के लिए मंत्रालय/विभाग के व्यय अथवा कार्य की प्रकृति के बावजूद व्यय वित्त समिति की अध्यक्षता सचिव (व्यय) द्वारा की जाएगी।

(v) व्यय वित्त समिति/पीआईबी के सिफारिशों के बावजूद स्थायी आर्थिक आदेशों में छूट के साथ नए पदों के सृजन के लिए व्यय विभाग का विशिष्ट अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

(vi) वर्तमान में पीआईबी में लागू सभी परियोजनाओं के लिए पूर्व-पीआईबी बैठक में विचार किया जाता है। रुपए 500 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में पूर्व-पीआईबी प्रक्रियाओं का वितरण किया गया है और प्रस्तावों पर सीधे पीआईबी द्वारा विचार किया जाएगा।

3. अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी

(क) मूल लागत अनुमान

परियोजना/स्कीम पर व्यय	**अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी**
50 करोड़ रुपए से कम	प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
50 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 100 करोड़ रुपए से कम	प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री और वित्त मंत्री
100 करोड़ रुपए और अधिक	केबिनेट/सीसीईए
व्यय के बावजूद नए स्वायत्त संगठनों के लिए प्रस्ताव	केबिनेट/सीसीईए

(ख) संशोधित लागत अनुमान:

(ख) (1) 100 करोड़ रुपए से कम वाले संशोधित लागत अनुमान:

(i) वैधानिक प्रभारों, विनिमय में होने वाले यदा-कदा परिवर्तनों और अनुमोदित परियोजना की अवधि में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाले संशोधित लागत अनुमान संबंधी मामलों और 20% तक की लागत वृद्धि वाले मामलों को संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त पैरा 3 (क) के अनुसार योजना आयोग के परामर्श से अनुमोदित किया जा सकता है।

(ii) वैधानिक प्रभारों, विनिमय में होने वाले यदा-कदा परिवर्तनों और अनुमोदित परियोजना की अवधि में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि को छोड़ने के बाद 20% से अधिक तक की लागत वृद्धि वाले संशोधित लागत अनुमानों के लिए उपर्युक्त पैरा 2 और उपर्युक्त पैरा 3 (क) के अनुसार फोरम स्तर पर मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

(ख) (2) रुपए 100 करोड़ और अधिक के संशोधित लागत अनुमान मामले :

(i) वैधानिक प्रभारों, विनिमय में होने वाले यदा-कदा परिवर्तनों और अनुमोदित परियोजना की अवधि में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप उपजे संशोधित लागत अनुमान मामलों के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा योजना आयोग के परामर्श से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ii) प्रथम संशोधित लागत अनुमान, जो मूलतः अनुमोदित लागत अनुमानों (मूलतः अनुमोदित परियोजना अवधि, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (i) में तीन कारकों का उल्लेख है) के 10% तक हो, को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के परामर्श से अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) प्रथम संशोधित लागत अनुमान, जो मूलतः अनुमोदित लागत अनुमानों (मूलतः अनुमोदित परियोजना अवधि में हुई वृद्धि को छोड़कर, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (i) में तीन कारकों का उल्लेख

है) के 10% से अधिक, किंतु 20% तक हो, का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा किया जाएगा और उसका अनुमोदन प्रशासनिक मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा।

(iv) प्रथम संशोधित लागत अनुमान जो मूलतः अनुमोदित लागत अनुमानों (मूलतः अनुमोदित परियोजना अवधि में हुई वृद्धि को छोड़कर, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (i) में तीन कारकों का उल्लेख है) के 20% से अधिक वृद्धि, कार्य के दायरे से अधिक हो जाने और कम अनुमान आदि के कारण, उनका मूल्यांकन व्यय वित्त समिति/पीआईबी द्वारा किया जाएगा और तत्पश्चात् अनुमोदनार्थ सीसीईए का अनुमोदन लिया जाएगा।

(v) द्वितीय और उसके बाद वाले नवीनतम अनुमोदित लागत (प्रथम और पिछला संशोधित लागत अनुमान) 5% से कम लागत वाले संशोधित लागत अनुमान (वैधानिक प्रभारों, विनिमय में होने वाले यदा-कदा परिवर्तनों और अनुमोदित परियोजना की अवधि में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप) का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा किया जाएगा और प्रशासनिक मंत्री के अनुमोदन से उस पर निर्णय लिया जाएगा।

(vi) द्वितीय और उसके बाद वाले नवीनतम अनुमोदित लागत (प्रथम और पिछला संशोधित लागत अनुमान) 5% अथवा अधिक लागत वाले संशोधित लागत अनुमान (वैधानिक प्रभारों, विनिमय में होने वाले यदा-कदा परिवर्तनों और अनुमोदित परियोजना की अवधि में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप हुई वृद्धि को छोड़कर) के लिए व्यय वित्त समिति/पीआईबी के मूल्यांकन और सीसीईए के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(ख) (3): संशोधित लागत अनुमान के लिए मूल्यांकन फोरम के मापदण्ड और अनुमोदन के लिए प्राधिकार के स्तर से लागत में वृद्धि होगी और समय अवधि में वृद्धि होगी।

(ख) (4): विद्यमान प्रक्रिया में उल्लेख है कि संशोधित लागत अनुमान मामलों पर उसी प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिसने शक्तियों के अन्य किसी प्रत्यायोजन के होते हुए भी मूल प्रस्ताव को अनुमोदित किया हो। यह मंत्रालयों के संशोधित लागत अनुमान संबंधी मामलों के लागू होने के साथ-साथ नवरत्न और मिनीरत्न जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होगा, यद्यपि उन्हें नए निवेशों पर निर्णय लेने के लिए कुछ शर्तों के साथ शक्तियां प्राप्त हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित लागत अनुमान मामलों पर निर्णय के लिए शक्ति प्राधिकारियों को सौंपी जाती है, जैसा कि नए मामलों पर अनुमोदन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ख)(5): जहां स्कीम/परियोजना के संशोधित/तैयार किए गए लागत अनुमान, सक्षम प्राधिकारी, जिसने स्कीम की मूल लागत का अनुमोदन प्रदान किया हो, के अनुमोदन की सीमा बढ़ जाती हो, ऐसे मामलों में उच्च सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ख)(6): संशोधित लागत अनुमान मामलों को प्रस्तुत करते समय स्थायी समिति द्वारा लागत और समय के बढ़ जाने तथा जिम्मेदारी के निर्धारण पर विचार करते समय योजना आयोग के

अ.स. पत्र सं. ओ- 14015/2/98-पीएएमडी, दिनांक 19.8.1998 के तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. निवेश-पूर्व गतिविधियों आदि पर व्यय

(क) निवेश-पूर्व गतिविधियों जैसे विस्तृत कार्य व्यवहार्यता/परियोजना रिपोर्टें की स्वीकृति प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार होगा :

व्यय/वित्तीय सीमा	समीक्षा/अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी
बजट/योजना निधि की उपलब्धता की शर्त पर, डीएफआर तैयार करने के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक और निवेश-पूर्व गतिविधियां (व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सहित, किंतु इसमें भूमि अधिग्रहण/इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल नहीं हैं)।	सचिव, संबंधित मंत्रालय/विभाग.
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 10 रुपए करोड़ तक के प्रस्तावों हेतु डीएफआर तैयार करने और निवेश-पूर्व गतिविधियों के लिए, जिसमें भूमि अधिग्रहण/इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल नहीं हैं, यदि उन्हें बजटीय सहायता नहीं दी जाती और पीएसयू लाभ देने वाला हो।	संबंधित मंत्रालय/विभाग
अन्य सभी मामले	पीआईबी (सीपीआईबी) की समिति द्वारा मूल्यांकन, और उपर्युक्त पैरा 3 (क) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन।

(ख) कोयला और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए 20 रुपए करोड़ से अधिक की निवेश-पूर्व गतिविधियों पर व्यय के लिए केवल पीआईबी की समिति द्वारा विचार की आवश्यकता होगी।

(ग) हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के संबंध में इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं के विकास और निर्माण-पूर्व कार्यों हेतु अनुमानों के अनुमोदन के लिए ऊर्जा मंत्रालय को शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ऊर्जा मंत्रालय के पत्र सं. 16/31/2000-डीओ (एनएचपीसी), दिनांक 8.6.2001 का अनुपालन किया जाएगा।

5. परियोजना/स्कीम की लागतः-

(क) परियोजना की लागत में वे सभी अवयव शामिल होंगे, जिनके अंतर्गत व्यय किया जाना होता है (लाइस रेवेन्यू, पूंजी और ऋण आदि)। वर्तमान में, परियोजना की लागत स्थिर मूल्यों पर निकाली जाती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विभाग के लिए यह बाध्यकारी बनाया जाए कि परियोजना का गणना लागत और स्थिर मूल्य दोनों और पूर्ण लागत के आधार पर निकाली जाए ताकि दोनों परिदृश्यों में आईआरआर/ईआरआर की गणना की जा सके।

(ख) पूर्ण लागत को निम्नलिखित तरीके से मूल्यह्रास की औसत दर के आधार पर निकाला जा सकता हैः-

(i) परियोजना लागत का लेबर कांपोनेंट को औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्त मूल्य सूचकांक की औसत (12 माह की) का उपयोग करते हुए अद्यतन किया जा सकता है।

(ii) श्रम के अलावा, सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक के लागत के अन्य सभी अवयवों की औसत (12 माह की) का उपयोग किया जा सकता है।

6. इस कार्यालय ज्ञापन में निहित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुपालन तभी किया जाएगा, जहां परियोजना/स्कीम के चरणों के अनुसार वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना की लागत के लिए आवश्यक/अपेक्षित निधियों का उपयोग किया जाएगा। इन शक्तियों को आगे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों, जैसे सामान्य आर्थिक निर्देश आदि, के अनुसार लागू किया जाएगा। यह आदेश इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(5)-पीएफ II/96, दिनांक 6.8.1997 का अधिक्रम में लागू होगा। यह आदेश केबिनेट/सीसीईए द्वारा किसी मंत्रालय/विभाग के लिए जारी किसी विशिष्ट छूट का अधिक्रमण नहीं करेंगे।

यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

इसे वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

-हस्ताक्षर-

(आर. एन. चौबे)

संयुक्त सचिव (पी.एफ.II)

सचिव, समस्त मंत्रालय/विभाग.

वित्त सलाहकार, समस्त मंत्रालय/विभाग.

प्रतिलिपि :

1) सलाहकार, पीएएमडी, योजना आयोग

2) केबिनेट सचिव, (श्री एन.एस.सिसौदिया, अपर सचिव)

3) प्रधानमंत्री कार्यालय.